कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

= = = = = = = = = = = = = =

क्रमांक/राजस्व/1463 दिनांक: 7/7/99

-: आदेश :-

राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-8) विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा जैसलमेर एवम् बाड़मेर जिले में मरूस्थल राष्ट्रीय उद्यान गठन करने हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना क्रमांक एफ.3(18)/73/राजस्व/ग्रुप-8/73 दिनांक 8.5.81 को जारी की।

उक्त राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा उनके कार्यालय के क्रमांक एफ-3/2/1/राजस्व/81 दिनांक 8.7.81 के द्वारा उद्घोषणा जारी की गई, इस उद्घोषणा में दर्शित सीमाओं में घोषित मरूस्थल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित भूमि के सम्बन्ध में यदि कोई व्यक्ति अपना अधिकार रखता हो तो उन समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को अपनी लिखित उजरदारी निर्धारित प्रपत्र में उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो माह के भीतर जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा जारी इस उद्घोषणा का प्रचार-प्रसार प्रभावित क्षेत्र में व्यापक रूप से कराया गया। इस उद्घोषणा में घोषित क्षेत्र में तहसील शिव मौजूदा नव सृजित ग्रामों सहित 39 ग्राम आते हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर है तथा इस प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में से अन्दर म्याद 6 दावे प्राप्त हुए। उद्घोषणा में अंकित क्षेत्र में खातेदारी, गैर खातेदारी, आबादी, गोचर, विभागीय तथा सार्वजनिक भूमि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर हैं।

राज्य सरकार के वन विभाग ने अपने आदेश सं० एफ-11(54)मो/रेस/97 दिनांक 10-2-98 से अधोहस्ताक्षर कर्ता को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 25 तक की शक्तियाँ प्रदत्त की हैं।

पूर्व में इस कार्यालय से राष्ट्रीय मरू अभ्यारण्य के सम्बन्ध में आदेश सं० राजस्व/98/2460 दिनांक 19.11.98 से अधिकारों का विनिश्चय निम्न प्रकार से लेख बद्ध किया गया था -

1- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवम् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकारों को प्रदत्त अधिकारों एवं सुखाचारों का उपयोग एवं उपभोग उनके द्वारा यथावत किया जाता रहेगा।

2- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 के तहत उक्त क्षेत्र में स्थित भूमि में ... पर इस पर नये अधिकारों के उत्पन्न होने पर रोक हैं, किन्तु इस मामले में ...

पर उल्लेखित किया जा चुका है इस क्षेत्र के निवासीयों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में गैर खातेदारी भूमि जो काश्तकारों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित किये हुए 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और वे कृषक खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी भी हो चुके हैं तथा उक्त अधिकारों के अभाव में वे अन्य ऋण आदि की सुविधाऐं प्राप्त करने से वंचित हैं ऐसी अवस्था में इस क्षेत्र में आए हुए गैर खातेदार जिनके द्वारा आवंटन आदेश की शर्तों का पालन किया गया हैं एवम् वे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं वे नियमानुसार खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के हकदार होंगे।

3- अभयारण्य क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिये प्रस्तावित क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्माण एवं कृषकों को भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार ~~[illegible]~~ सक्षम ~~[illegible]~~ होगी एवं राज्य सरकार द्वारा उपनिवेशन विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार भूमि आवंटन, आवासीय कॉलोनी, नहर निर्माण मण्डियों आदि के निर्माण के कार्य किये जा सकेंगे।

4- अभयारण्य की उद्घोषणा के पूर्व बनाये गये एवं वर्तमान में स्थित सार्वजनिक रास्ते सार्वजनिक भूमियों यथा गोचर, ओरण आदि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं का उपयोग करने का ग्रामवासियों को पूर्व की भांति पूर्ण रूप से स्वतंत्र अधिकार रहेगा।

5- उक्त क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थानों पर पूजा अर्चना/इबादत करने का उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामवासीयों तथा बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों का पूर्ण अधिकार यथावत रहेगा।

6- उक्त क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक कुए/तालाब, नाडी नदियों व पार से ग्राम वासीयों को पानी पीने एवम् पशुओं को पिलाने के अधिकार यथावत रहेंगे।

7- उक्त क्षेत्र में कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराने का ग्राम वासीयों को पूर्ण अधिकार होगा किन्तु आवसीय/वाणिज्यिक से भिन्न प्रयोजनार्थ (यथा औद्योगिक ~~[illegible]~~ प्रयोजनार्थ) रूपान्तरण करने से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

8- उक्त क्षेत्र में आई हुई राजकीय भूमियों के आवासीय, वाणिज्यिक कृषि प्रयोजनार्थ एवम् औद्योगिक प्रकृति के कार्य हेतु आवंटन से पूर्व राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी।

9- उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले ग्राम वासीयों को अपने निजि उपयोग हेतु इस क्षेत्र में उपलब्ध खनिज सम्पदा का उपयोग खनिज विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त पूर्ण अधिकार होगा। किन्तु खनन प्रक्रिया में बारूद (विस्फोटक पदार्थ) का उपयोग नहीं किया जावेगा एवं न ही इस प्रकार का कोई कार्य किया जावेगा [illegible] अभयारण्य की स्थापना के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

281

10- इस क्षेत्र के निवासीयों को अभयारण्य क्षेत्र में आने मवेशियों को रखने एवं उसे चारागाह, ओरण, सिवाय चक भूमि [वन विभाग की भूमियों को छोड़कर] क्षेत्र में चराई का अधिकार यथावत रहेगा।

11- अभयारण्य क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में सार्वजनिक उपयोग की भूमियों यथा गैर मुमकीन आबादी, गैर मुमकीन श्मशान, गैर मुमकीन कब्रिस्तान, गैर मुमकीन ओरण आदि का उपयोग ग्राम वासीयों द्वारा वर्तमान में प्रचलित नियमों के तहत यथावत किया जाता रहेगा तथा भविष्य में भी उक्त भूमियों के क्षेत्र का विस्तार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार करवाने के उन्हें अधिकार होंगे।

12- राज्य सरकार को सिवाय चक भूमि को किस्म परिवर्तन करने उसके आवंटन, आरक्षण का पूर्ण अधिकार रहेगा।

13- अतः राष्ट्रीय मरू उद्यान क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त ग्रामों की भूमि का विवरण जो परिशिष्ट "अ" में हैं के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के अतिरिक्त वे हित बद्ध व्यक्ति जिनके कि हित इस मरू उद्यान में समाविष्ट होने वालों में निहित हैं, के मुआवजा का निर्धारण मौके की संपत्ति की सर्वे कराकर कब्जा सौंपने की तारीख को बाजार मूल्य के अनुसार किया जावेगा।

अतः वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 24[1] के तहत उद्घोषित क्षेत्र में आने वाले समस्त हितबद्ध व्यक्तियों के हितों पर विचारोपरान्त अनुसूची में वर्णित भूमि विवरण अनुसार अधिकार स्वीकार किये गये।

अतः राज्य सरकार अधिनियम अनुसार बाद आवश्यक कार्यवाही भूमि अवाप्ति सम्बन्धि निर्देश जारी करने की कृपा करावें।

[आर0पी0 विजय]
उप खण्ड अधिकारी
[प्राधिकृत अधिकारी]
बाड़मेर

क्रमांक/राजस्व/1464-1478 दिनांक:-7-7-99

प्रतिलिपि:-1- मुख्य वन संरक्षक एवम् मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर
2- शासन सचिव वन/राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर
3- उपशासन सचिव उपनिवेशन विभाग राजस्थान जयपुर
4- आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर /5- वन संरक्षक, वन्य जीव, वन विभाग जोधपुर
6- जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर/जैसलमेर
7- उप निदेशक डी0एन0पी0 जैसलमेर 8- उप वन संरक्षक जैसलमेर/बाड़मेर
9- अधिक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान बाड़मेर
10- तहसीलदार शिव/उपतहसीलदार गडरा रोड [सभी अतिरिक्त प्रतियों के प्रत्येक गांव एवं पंचायत मुख्यालय के सार्वजनिक स्थान पर चस्पान हेतु]
11- सरपंच ग्राम पंचायत ....

उपखण्ड अधिकारी
[प्राधिकृत अधिकारी] बाड़मेर

परिशिष्ट - अ

राष्ट्रीय मरु उद्यान ---- से संबंधित भूमि जिला- बाड़मेर

क्र.सं.	नाम ग्राम	राज्य सरकार की भूमि	खातेदारी व गैर खातेदारी भूमि	पंचायत की भूमि	वन विभाग की भूमि	अन्य विभाग की भूमि	समस्त भूमि का क्षेत्रफल (बीघों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सेतरोड़ी	3661.10	6259.15	8167.02	3763.05	01.10	21853.02
2.	उगेरी	1258.17	7426.19	5663.19	10577.08	219.03	25146.06
3.	साणी की बस्ती	6553.10	11037.10	4020.06	5958.19	05.00	27575.05
4.	कोहला	8910.03	25656.04	7580.13	1983.16	10.00	44140.16
5.	सुंडा	10475.16	30285.06	9280.10	4257.30	51.06	54650.01
6.	बिकुनी	2630.12	6512.06	2572.10	-	-	11715.08
7.	गोपालसिंह कुण्डल	3090.01	7110.16	2099.03	1361.04	01.00	13662.04
8.	गिराब	1207.02	10393.09	6178.06	-	65.01	17843.18
9.	शास्त्रीगांव	11130.01	11993.06	3353.13	627.09	309.15	27413.12
10.	आसाड़ी	3279.00	23165.04	995.07	-	352.06	27791.17
11.	अगासड़ी	247.11	1020.19	931.18	-	05.10	2105.18
12.	हड़वाणी	1536.09	7063.02	174.17	10194.09	-	18968.17
13.	तालमसिंह की बस्ती	1827.14	12551.13	5351.12	-	521.10	20252.09
14.	रावतसर	05.17	25.12	1000.00	-	-	1031.09
15.	समद का पार	7359.18	8026.14	239.01	-	145.11	15771.04
16.	बिजावल	5478.19	6521.06	7114.00	-	-	29114.05
17.	हापियार	16341.01	3999.10	5061.13	-	-	25402.04
18.	छोटीन	4197.12	16543.01	3406.00	-	75.14	24222.07
19.	बनियासर	1057.05	7348.18	180.04	-	39.06	8625.13
20.	डाबड़	36624.12	9139.06	19025.13	92.03	342.08	65224.02
21.	सिरगुवाला	17528.04	15944.04	4972.01	353.15	162.09	38960.15
22.	शाहदाद का पार खुर्द	12832.10	900.00	2710.15	21.01	05.00	16469.06
23.	रतरड़ी खुर्द	4241.15	6235.04	686.06	-	-	11163.05
24.	रतरड़ी कला	3446.12	7545.18	9007.07	-	08.00	20007.17
25.	जोगों की बस्ती	7011.14	11389.09	6640.17	-	-	25042.00

---- 2..

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बाड़मेर

2	3	4	5	6	7	8
26. हापिया उर्फ महलो	3719.17	4906.15	2388.12	788.15	05.10	11808.15
27. डाम्ह	10696.11	8431.08	7940.19	77.19	90.09	27237.06
28. हलीपना की बावड़ी	-	-	09.16	-	-	09.16
29. पाबुसरी	4138.08	16487.17	5094.12	-	-	25720.08
30. गोरालिया	281.04	2699.19	2761.08	-	57.11	5800.02
31. हरमाणी	-	648.11	950.00	-	12.10	1611.01
32. मगरा	2377.03	14319.03	695.03	-	32.10	17423.19
33. तुड़वो	1351.08	11108.09	2523.10	-	250.07	15233.14
34. बोई	1320.08	2338.06	15.00	-	-	15473.14
35. खड़ाला	15237.10	10747.15	-	1553.16	11.03	27350.04
36. नोहड़ियाला	26781.02	11565.02	-	-	33.12	38379.16
37. मोटड़ो	24627.19	4261.15	-	-	05.00	28894.14
38. पूजराज का पार	8161.09	18099.18	-	4736.00	10.00	31007.07
39. बचिया	19132	5563.10	-	-	-	24696.04
योग	311559.18	365283.07	138692.13	46147.02	2939.09	864802.01

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) गडरा